प्रेस नोट, जनपद-फतेहपुर
दिनांक-15.01.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा, पहचान छिपाकर विदेश में नौकरी दिलानें के नाम पर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त संगठित गिरोह के एक अभियुक्त को कूटरचित दस्तावेज, प्रयुक्त मोबाइल फोन, लैपटाप आदि सहित किया गिरफ्तार ।

साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी अपराध फतेहपुर के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना पर विदेश में नौकरी दिलानें के नाम पर कूटरचित VISA एवं AIR TICKET देकर करीब 6 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी के पंजीकृत अभियोग का साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा सफल अनावरण कर संलिप्त गिरोह के एक अभियुक्त आदर्श सिंह को कूटरचित दस्तावेज एवं लैपटाप, मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों सहित गिरफ्तार कर अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक क्रम में अभियुक्त को अपराध धारा 318(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) ,111(4) BNS व 66C व 66D आई.टी एक्ट में आज दिनांक-15.01.2026 को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

अनावरित घटना –

दिनांक 07/12/2025 को वादी श्री मो0 तैसीम पुत्र मो0 नसीम निवासी ग्राम अकीलपुर ऐराना पोस्ट आलमपुर गेरिया थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा विदेश में नौकरी दिलानें के नाम पर कूटरचित VISA एवं AIR TICKET देकर करीब 6 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी विषयक आरोपों के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 37/2025 धारा 318(2), 319(2) BNS व 66सी/66डी आई.टी. एक्ट बनाम अज्ञात

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता –

1. आदर्श सिंह पुत्र श्री कंचन सिंह निवासी वार्ड नं. 24, चंदी चरन का पुरवा, निकट पुरानी ए.आर.टी.ओ आफिस, थाना-गौरीगंज अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक एवं समय -

नाका हिण्डोला (लखनऊ), दिनाँक 14.01.2026 समय 16.30 बजे।

अभियुक्त द्वारा अपराध करने की कार्य प्रणाली-

1. अभियुक्त आदर्श सिंह एवं सह-अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा उर्फ अरुण उपाध्याय उर्फ नीलेश चौहान उर्फ विनोद शुक्ला एक दूसरे से पूर्व परिचित तथा कस्बा गौरीगंज के निवासी हैं।

2. अभियुक्तगण विदेश में नौकरी दिलानें हेतु आमजन मानस को संपर्क हेतु Google पर Wonder Tour And Travels के नाम से कूटरचित Website एवं संपर्क नम्बर अपलोड कर संपर्क करनें वालों को स्वयं को Agent बताकर विश्वास में लेकर अपनें आफिस बुलाकर कूटरचित VISA एवं Air Ticket देकर वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है।
3. अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न कम्पनी / फर्म की GST / लाइसेंस नम्बर का प्रयोग कर Wonder Tour And Travels का प्रमाण पत्र तैयार कर आमजन को विश्वास दिलानें हेतु प्रयोग किया जाता है।
4. अभियुक्तगण द्वारा हर दो से तीन माह में कार्यालय का लोकेशन बदल दिया जाता है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार उनकी तलाश न कर सकें।
5. अभियुक्तगण द्वारा क्लाइंट के संपर्क में आनें पर अपनी पहचान एवं नाम पता के सम्बन्ध में कूटरचित / Edited आधार कार्ड/पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
6. अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा उर्फ अरुण उपाध्याय उर्फ नीलेश चौहान उर्फ विनोद शुक्ला आफिस का लोकेशन बदलनें पर अलग-अलग नाम से अपनी पहचान दी जाती है तथा यह प्रश्नगत अपराध में जनपद लखनऊ के थाना विभूतिखण्ड से जेल भी जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त 01 Laptop (Acer)
2- घटना में प्रयुक्त 01 Printer (Canon)
3- घटना में प्रयुक्त 01 कीपैड मोबाइल फोन
4- विभिन्न कम्पनी / फर्म की GST / लाइसेंस का प्रयोग कर कूटरचित उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र- 06 वर्क
5- Wonder Tour And Travels की सील / मुहर – 03 अदद
6- CCTV Camera – 01 अदद
7- इंटरनेट राउटर मय लैण्डलाइन फोन सेट मय एडाप्टर
8- Visiting Card
9- रजिस्टर – 10 अदद
10- Vivo X 300 एण्ड्रायड मोबाइल फोन – 01 अदद

जाँच/गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर।
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी आशीष कुमार मिश्रा
3. मु0आ0 सुमेश कुमार
4. हे0का0 अखिलेश उपाध्याय
5. का0 अजय कुमार